राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	1926/2024 अवतार सिंह	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। 3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भरतपुर, जोन–भरतपुर। 4. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर। 5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।	03.06.2024	श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक
2.	1927/2024 दिनेश चन्द शर्मा			

आदेश की दिनांक : 04.06.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1926/2024 अवतार सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को स्टेपिंग अप वेतन रूपये 625 से 640 दिनांक 15.12.1981 से दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ मय शेष राशि सहित 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि भी निर्धारित किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 20.07.1979 को हुई थी और

अपीलार्थी नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति उपरांत दिनांक 30.04.2015 को सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी श्री पवन कुमार पटोदी से वरिष्ठ है, जिसकी नियुक्ति दिनांक 15.12.1979 को हुई थी और उसे वेतन श्रृंखला 610–1090 दिनांक 01.09.1981 को पुनर्निधारण वेतनमान नियम, 1983 के अंतर्गत दी गई, जिसका वेतन रूपये 640 निर्धारित किया गया, परंतु अपीलार्थी का वेतन रूपये 625 निर्धारित किया गया। जबकि अपीलार्थी वेतन रूपये 640 प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किये, परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 4135/2024 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को स्टेपिंग अप वेतन रूपये 625 से 640 दिनांक 15.12.1981 से दिया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ मय शेष राशि सहित 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि भी निर्धारित किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति नर्स ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 20.07.1979 को हुई थी और अपीलार्थी नर्स ग्रेड प्रथम के पद पर पदोन्नति उपरांत दिनांक 30.04.2015 को सेवानिवृत्त हो गया। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1926/2024 अवतार सिंह बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1927/2024 दिनेश चन्द शर्मा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य